संख्या-27/2016/2638/26-2-2016-100(69)/2002

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2016**

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में किये गये प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-18/2016/1069/26-2-2016-100(69)/2002, दिनांक 12.05.2016 एवं शासनादेश संख्या-2235/26-2-2016-100(69)/2002, दिनांक 22.09.2016 के क्रम में आपके पत्र संख्या-2560/स0क0/एन0एस0ए0पी0/2016-17, दिनांक 04.11.2016 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में रू0 450.00 करोड़ का प्राविधान है, जिसके सापेक्ष पूर्व में रू0 112.50 करोड़ की धनराशि शासनादेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश में सम्मिलित करते हुये पूर्व स्वीकृत धनराशि के समायोजन के पश्चात धनराशि रू0 36.9463 करोड़ (रू0 छत्तीस करोड़ चौरानबे लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. **उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।**
2. **प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अपेक्षित केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. **उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रश्नगत योजनान्तर्गत यदि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
5. प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए निदेशक स्वयं उत्तरदायी होगें।
6. बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी0एम0-13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग (सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-0502-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0 संख्या-27/2016/2638(1)/26-2-2016-100(69)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।